प्रेस नोट–99/2026
दिनांक 15.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 14.02.2026 की रात्रि थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मंशापुर रोड बालपुर रजवाहे की पटरी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सलमान उर्फ महबूब उर्फ मोटा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान उर्फ महबूब उर्फ मोटा निवासी हुसैन बस्ती नया घास कांटा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद अयोध्या/थाना कैण्ट

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 50 हजार रूपये नगद**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद**

दिनांक 15.02.2026 को थाना कैण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अब्बूसराय गांव के पास से 02 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–महेश को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 50 हजार रूपये नगद, लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी भर्ती का पुरवा रामगढ़ थाना छावनी जनपद बस्ती।

2–महेश निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–लूट के 50 हजार रूपये नगद।

2–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 कार आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना डौकी

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 22.5 किलोग्राम के सफेद धातु के आभूषण**
- **17 हजार 200 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.02.2026 को थाना डौकी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टूंडला रोड वाजिदपुर, जगजीत सिंह डिग्री कॉलेज के गेट के पास से 1–धर्मवीर 2–मेघराज 3–मनोज 4–सत्यवीर 5–अनिल 6–रामवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 22.5 किलोग्राम के सफेद धातु के आभूषण, 17 हजार 200 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रामवीर के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त मेघराज के विरूद्ध कमिश्नरेट, जनपद इटावा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त सत्यवीर के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा, जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग एवं अभियुक्त मनोज, धर्मवीर व अनिल के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा, जनपद फिरोजाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07–07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना डौकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मवीर निवासी ग्राम गढी निर्भय थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

2–मेघराज निवासी ग्राम झोरियान थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

3–मनोज निवासी ग्राम पुरा नत्था झोरियान थाना पिनाहट कमिश्नरेट आगरा।

4–सत्यवीर निवासी ग्राम गढी निर्भय थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद।

5–अनिल निवासी ग्राम सुदामा नगर मुर्गेवाली गली थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

6–रामवीर निवासी ग्राम नगला दया थाना बसई मोहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 22.5 किलोग्राम के सफेद धातु के आभूषण।

2–17 हजार 200 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना जीआरपी गाजियाबाद

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 05 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 14.02.2026 को थाना जीआरपी गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नम्बर 5/6 के पास से 03 अभियुक्तों 1–शिवा 2–ललित 3–समीर उर्फ करन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 05 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शिवा के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर व जनपद हापुड़, बिजनौर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त

ललित के विरूद्ध जीआरपी गाजियाबाद व कमिश्नरनेट गौतमबुद्धनगर, जनपद मुरादाबाद व हापुड़ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त समीर उर्फ करन के विरूद्ध जीआरपी गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जीआरपी गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

2–ललित निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

3–समीर उर्फ करन निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी की (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 05 मोबाइल फोन, नगद रूपये आदि।

प्रेस नोट–100 / 2026
दिनांक 15.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद चन्दौली - थाना मुगलसराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा कोडिन कफ सिरप के संबंध में पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त द्वारा मादक द्रव्य कारोबार से अर्जित अवैध अचल सम्पत्ति कुल कीमत 3.5 करोड़ रुपए को अस्थायी रुप से फ्रीज किया गया।</u>

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** द्वारा संगठित अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में मादक द्रब्य एवं नशीले पदार्थ की तस्करी के रोकथाम तथा अपराधियों / तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली क्राइम ब्रान्च पुलिस द्वारा थाना मुगलसराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-570/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)(क) बीएनएस व 8/9V(A)/ 21/ 27A/29 NDPS ACT व मु0अ0सं0-571/25 धारा- 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2)(क) बीएनएस व 8/9V(A)/21/ 27A/29 NDPS ACT में अभियुक्त स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी निवासी कृष्णा नगर कालोनी चन्धासी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध सख्त एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त स्वप्निल केसरी एवं उसके पारिवारीजनों के द्वारा अवैध तस्करी से अर्जित की गयी अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत जनपद चन्दौली पुलिस व क्राईम ब्रान्च चन्दौली की संयुक्त टीम द्वारा मुगलसराय में अभिग्रहण / कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही के दौरान अन्तर्गत ग्राम-बेचूपुर, ग्राम-चन्धाशी, ग्राम-हरिशंकरपुर तहसील मुगलसराय जनपद चन्दौली स्थित अभियुक्त एवं उसके परिजनों की कुल 6 अचल सम्पत्तियों कीमत लगभग 03.50 करोड़ रुपया है, जिसे दिनांक 11.02.2026 के क्रम में अस्थायी रूप से फ्रीज करते हुए अधिग्रहित/कुर्क कि कार्यवाही अमल में लाई गई।

<u>सम्पत्ति जो अस्थायी रुप से फ्रीज की गई है-</u>

1.मकान संख्या 911 अन्दर आबादी रकबा 252.78 वर्ग मीटरग्राम-बेचूपुर, परगना-मवई तहसील मुगलसराय जनपद चंदौली (बाउण्डी सहित) आवासीय भूमि, कीमत करीब 95 लाख रुपए

2.मकान संख्या 911 आबादी (रकबा 81.93 वर्ग मीटर ग्राम-बेचूपुर, परगना-मवई तहसील मुगलसराय जनपद चंदौली (आवासीय) , कुल कीमत लगभग-25 लाख रुपये

3.अराजी संख्या 914 क, 915 (रकबा 84.75 वर्ग मीटर) ग्राम-चंधासी, परगना-राल्हूपुर तहसील मुगलसराय जनपद चंदौली (आवासीय) ,कीमत करीब 30 लाख रुपए

4.अराजी संख्या 915 (रकबा 51.76 वर्ग मीटर) ग्राम-चंधासी, परगना-राल्हूपुर तहसील मुगलसराय जनपद चंदौली (आवासीय) , कुल कीमत लगभग-20 लाख रुपये

5.अराजी संख्या 482 (रकबा 126.39 वर्ग मीटर) ग्राम-चंधासी, परगना-राल्हूपुर तहसील मुगलसराय जनपद चंदौली (आवासीय) , कीमत लगभग- 1.5 करोड़ रुपये

6.अराजी संख्या 231/2 (रकबा 144.98 वर्ग मीटर) ग्राम-हरिशकरपुर, परगना-राल्हूपुर तहसील मुगलसराय जनपद चंदौली (आवासीय) , कीमत लगभग- 30 लाख रुपये

अनुमानित बाजारु दर पर प्रचलित कीमत 03.50 करोड़ रुपए